# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

**अपील संख्या 12/82/2022**

**कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/293**

**अपीलार्थी**

श्री ओ.पी. शर्मा
नि0 26, को–ऑपरेटिस कॉलोनी, अजमेर रोड,
सोडाला, जयपुर–6

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

**प्रवेश तिथि :: 01.07.2022**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## निर्णय

**दिनांकः 02.08.2022**

1. अपीलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 12.05.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजी भूमि क्षेत्र के आबादी उपयोग के संबंध में जारी आदेश सं. 1973–75 दिनांकः 22.03.85 की सत्यापित एवं प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन पर किसी प्रकार के विनिश्चय/सूचना से अपीलार्थी को अवगत नहीं कराए जाने के कारण इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से उनके क्षेत्राधीन संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए प्रति जरिये पत्र सं. 1857 दिनांकः 02.08.22 इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की गई।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 12.05.22 के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के विधिक प्रावधानों के आलोक में उनके क्षेत्राधीन सूचना आवेदन दिनांक तक संधारित स्थिति से अवगत कराते हुए विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन में वर्णित पत्रावली (आदेश सं0 1973–75 दिनांकः 22.03.85) प्रत्यर्थी के नियंत्रणाधीन लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संधारण का अभाव पाया गया जिससे वांछित सूचना अदेय है।
8. अस्तु, उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 02.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
**अपीलीय अधिकारी एवं**
**जिला कलक्टर, अलवर (राज.)**